न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 858–एक/2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–02–2010 पारित द्वारा आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 128/2007–2008/अपील

सीताबाई पति मगनीराम (मृत) वारिसान–
1–देवीलाल पिता राधाकिशनजी
2–मांगीलाल
3–बगदीबाई पिता देवीलाल पति बगदीरामजी
निवासीगण ग्राम कनावटी
4–गंगाबाइ पिता देवीलाल पति ब्रदीलालजी
निवासी ग्राम बर्ड़िया

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1–घीसीबाई पिता गोपालजी कुलमी
निवासी ग्राम कनावटी तहसील व जिला नीमच म0प्र0
2–मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेदकगण

.....

आवेदकगण अभिभाषक अनुपस्थित ।
श्री प्रताप मेहता अभिभाषक अनावेदक क्रमांक 1

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2014 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 128/2007–2008/अपील में पारित आदेश दिनांक 16–02–2010 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सीताबाई द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 04–09–1999 को तहसीलदार नीमच द्वारा नामान्तरण पंजी पर प्रमाणीकरण किया गया। इस संबंध में प्रथम अपील प्रकरण कमांक 42/1999–2000 संस्थित कर दिनांक 22–05–2001 को निर्णीत किया गया जिसमें आदेश के पैरा 5 में भी दोनों पक्षों के द्वारा विक्रय पत्र सम्पादित करना प्रकट किया तथा साथ ही कब्जे के तथ्य की पुष्टि एवं साक्ष्य लेने के निर्देश दिये जाकर प्रकरण गुणदोष पर निराकरण हेतु भेजा गया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पर पुनः कार्यवाही की गई तथा साक्ष्य आदि ली गई जो प्रकरण में संलग्न है साथ ही प्रकरण में आये तथ्य एवं अभिलेखों के आधार पर आदेश दिनांक 25–4–2003 को तहसीलदार नीमच द्वारा पारित किया गया जिसकी पुनः अपील अनुविभागीय अधिकारी नीमच के प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 70/2002–2003 पर संस्थित की जाकर दिनांक 08–11–2004 को आदेश पारित किया गया । इस अपील में हुये आदेश दिनांक 8–11–04 के अंतिम पैरा में विज्ञप्ति का प्रकाशन करने तथा वादग्रस्त भूमि पर कब्जे के तथ्य की पुष्टि अभिलेखों से करने तथा मौका निरीक्षण करने के आधार पर विधि प्रकिया के अनुरूप गुणदोषों पर नामान्तरण करने के निर्देश दिये गये । अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के कम में पुनः विज्ञप्ति जारी की गई जिस पर अन्य कोई आपत्ति पेश नहीं हुई एवं कब्जे के संबंध में साक्ष्य लिये गये तत्पश्चात् तहसीलदार नीमच द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–6–2007 से यह आदेश दिया गया कि सीताबाई द्वारा ग्राम कनावटी स्थित भूमि सर्वे नम्बर 265 की भूमि दो बीघा 10 विस्वा पर जो विनियम की गई भूमि का पंजीकृत वयनामा के आधार पर नामान्तरण चाहा गया । वह पंजीकृत दस्तावेज, शर्त की पूर्ति न करने तथा कब्जा न देने व पूर्व में यथास्थिति होने के कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता है । इसलिये आवेदन पत्र सद्भावना पूर्वक न होने से निरस्त किया गया। इसके विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी नीमच को सीताबाई द्वारा प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण कमांक 51/2006–07 पर संस्थित की जाकर पारित आदेश दिनांक 20–12–2007 को सीताबाई पिता मगनीराम पति देवीलाल कुलमी निवासी कनावटी का नामान्तरण स्वीकार किये जाने का आदेश पारित किया जाकर तहसीलदार नीमच का आदेश निरस्त किया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–12–2007 के विरूद्ध घीसीबाई द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 128/2007–08 पर दर्ज की जाकर पारित आदेश दिनांक 16–02–2010 से स्वीकार कर प्रकरण

तहसीलदार नीमच को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि प्रकरण साक्ष्य प्रमाण का अवसर देकर सुनवाई कर विधिवत् आदेश पारित करें । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–2–2010 से दुखी होकर आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3– प्रकरण में आवेदकगण के अभिभाषक अंतिम तर्क हेतु नियत दिनांक को अनुपस्थित रहे है। इसलिये प्रकरण का निराकरण उपलब्ध अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है ।

4– अनावेदक कमांक 1 के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये गये जिसमें बताया कि अपर आयुक्त उज्जैन संभाग के समक्ष अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के अभिलेख उपलब्ध थे जिसमें विनिमय/विक्रय को दोनों पक्षकारों ने लागू नहीं किया तथा एक दूसरे ने किसी भी पक्ष को भूमि का आदान प्रदान नहीं किया । वर्ष 1966 के विनिमय/विक्रय लेख के पूर्व जो स्थिति कायम थी वही आज तक कायम है । वर्ष 1966 के पूर्व के कब्जे के आधार पर राजस्व न्यायालय ने बंटाकन किया जो आज तक है । तर्क में यह भी बताया कि राजस्व निरीक्षक पटवारी के प्रतिवेदन, पंचनामा आदि सम्मिलित है । सम्पूर्ण साक्ष्य पंचनामा प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार ने नामान्तरण पंजी पर सीताबाई के नामान्तरण को निरस्त किया है । द्वितीय अपील में अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन ने अभिलेख के विपरीत आदेश पारित किया है जिसको निगरानी के अधीन मण्डल को यह शक्ति एवं अधिकारिता है कि वह विवाद का पूर्णतः विनिश्चयन कर सकता है । तहसीलदार के आदेश के पेज कमांक 2 के पैरा कमांक 5 में विस्तृत आदेश के कारणों का उल्लेख किया है तथा पेज कमांक 4 में आदेश का निष्कर्ष दिया जो पूर्णतः औचित्यपूर्ण है जो स्थिर रखे जाने योग्य है । अंत में तहसीलदार नीमच का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5– वर्ष 1986 राजस्व निर्णय पृष्ठ 1 सौदानसिंह बनाम मध्यप्रदेश राज्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि राजस्व मण्डल को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 एवं 227 के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय की याचिका के समान अधिकार प्राप्त है । राजस्व मण्डल विवादित आदेश ही नहीं वरन् अधीनस्थ न्यायालयों के समस्त आदेशों पर विचार कर सकेगा । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित समस्त आदेशों पर विचार किया जा रहा है ।

6– आवेदक के निगरानी मेमों तथा अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया। तहसीलदार नीमच के प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार नीमच द्वारा प्रकरण में आदेश अनुविभागीय अधिकारी नीमच के निर्देश के अनुरूप किया गया है । अपीलीय न्यायालय से प्रकरण प्राप्त होने पर पुनः विज्ञप्ति जारी की गई तथा कब्जे के संबंध में साक्ष्य लिये गये जिसमें घीसीबाई की ओर से रामप्रताप, मोतीलाल द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किये । मौके पर निरीक्षण के संबंध में पंचनामा दिनांक 31–7–02, 25–9–05 एवं फोटो सहित अभिलेख प्रस्तुत हुये । सीताबाई की ओर से हरिनिवास, बद्रीलाल के कथन सहित पटवारी मौजा के द्वारा दिनांक 3–11–2006 को प्रस्तुत स्थल निरीक्षण पंचनामे पर घीसीबाई की ओर से आपत्ति ली गई जिसका जबाव प्राप्त कर विधिवत् निराकरण किया गया । इस प्रकार मौका निरीक्षण पंचनामा एवं पटवारी के कथन से इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि विनिमय पंजीकृत वयनामा के आधार पर कब्जे का आदान प्रदान किया गया था या नहीं, वर्तमान स्थिति वर्ष 1966 में हुई कार्यवाही की पुष्टि नहीं करती है । इसलिये सीताबाई द्वारा ग्राम कनावटी स्थित 10 विस्वा भूमि पर पंजीकृत बयनामा के आधार पर जो नामान्तरण चाहा गया है वह स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि दोनों पक्षों ने दिनांक 13–7–1966 को दस्तावेज पंजीकृत कराये थे फिर केवल सीताबाई द्वारा दस्तावेज अनुसार कार्यवाही चाही जाना सद्भावना पूर्वक नहीं माना जा सकता और फिर वर्ष 1966 के पंजीकृत दस्तावेज पर वर्ष 1999 में नामान्तरण चाहा जाना भी संदेह को जनम देता है । इस संबंध में वर्ष 2006 आर0एन0 135 (माननीय उच्चतम न्यायालय) का न्यायदृष्टांत प्रकरण में लागू होता है जिसमें बताया गया है कि नामान्तरण के लिये आवेदन विधिपूर्वक अधिकार अर्जित करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है – अर्जन के दिनांक से 6 मास के भीतर किया जाना चाहिये। अधिकार 1954 अर्जित किया जाना अभिकथित – आवेदन 1989 में – विधि की प्रकिया का स्पष्ट रूप से दुरूपयोग है । तहसील न्यायालय द्वारा सीताबाई को यह निर्देश दिया है कि वह स्वत्व व हक के प्रश्न का प्रमाणीकरण सिविल न्यायालय से कराकर प्रस्तुत करें ताकि न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जा सके । इस संबंध में वर्ष 2005 आर0एन0 286 (माननीय उच्च न्यायालय) में बताया गया है कि धारा 110 भू–राजस्व संहिता भूमि का हक – राजस्व न्यायालयों द्वारा विनिश्चित नहीं किया जाता – सिविल न्यायालयों को ऐसा प्रश्न विनिश्चय करने की अनन्य अधिकारिता है इस

प्रकार तहसील न्यायालय का आदेश साक्ष्य एवं प्रमाण के आधार पर सही एवं उचित होने से उसे प्रथम अपीलीय अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय नीमच द्वारा अभिलेख के विपरीत जाकर निरस्त किये जाने का जो आदेश पारित किया गया है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । जहॉ तक द्वितीय अपीलीय अपर आयुक्त न्यायालय के आदेश का प्रश्न है तो वह व्यक्ति विशेष के लाभ का होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

7– उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–02–2010 एवं अनुविभागीय अधिकारी नीमच द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–12–2007 विधिवत् एवं औचित्यपूर्ण नहीं होने से निरस्त किये जाते हैं । तहसीलदार तहसील व जिला नीमच द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–06–2007 स्थिर रखा जाता है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.